09.07.2020

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

नवलाराम बनाम जालो वगैरा

किस्म मुकदमा रा० वाद 88,188 R.T.Act नं 82/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/06/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 R.T.Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/06/2020 को पेश हो। विवेक व्यास (सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)	
29/06/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-4 तहसीलदार बायतु का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 3 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 से 3 की ओर से वकील श्री प्रेमाराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। तथा वादी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूचि ग्राम-कोसरिया ख० नं०-268, 523/269, 524/274, 527/277, 528/277, 530/282, 625/529 संवत-2076-2079 मय नक्शा पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में PW-1, PW-2 व PW-3 के साक्ष्य शपथ-पत्र तथा प्रतिवादीगणों की ओर से DW-1 व DW-2 के शपथ-पत्र	नवलाराम अ.नि. जालो अ.नि. शंकराराम अ.नि. केसाराम प्रेमाराम

विवेक व्यास

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 09/07/2020 को पेश हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)

09/07/2020 पुकार पर फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में प्रतिवादी वकील द्वारा सहमति जाहिर की गई वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 82/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नवलाराम गौद पुत्र लिछमणाराम कुदरती पुत्र केसाराम जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. जतनों पुत्र लिछमणाराम पत्नि मुकनाराम जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया, हाल निवासी चेनोणियों की ढ़ाणी, सिंगोड़िया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 2. केसाराम पुत्र भलाराम 3. शंकराराम पुत्र रामाराम जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 4. श्रीमान तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादी
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी

दिनांक– 09/07/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज भलाराम की खातेदारी का खेत मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु के खेत खसरा नम्बर 268, 523/269, 524/274, 527/277, 528/277, 530/282, 625/529 रकबा क्रमशः 4.9430, 1.3429, 4.3201, 4.8540, 2.3785, 0.9304, 7.0383 हैक्टेयर आये हुऐ थे, उक्त समस्त खसरों की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज भलाराम का स्वर्गवास होने पर भलाराम के वारिसान तीनों पुत्रों केसाराम, रामाराम व लिछमणाराम के नाम बहिस्सा बराबर जरिए फौत नामान्तकरण दर्ज की गई। भलाराम के पुत्र लिछमणाराम के केवल एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 01 जतनों है तथा जाईन्दा कोई पुत्र नहीं था। इसलिए लिछमणाराम ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल में ही वादी नवलाराम को अपना गौद पुत्र बना लिया था। और अपने आवास पर वादी को गौद लेने के सम्बन्ध में सामाजिक कार्यक्रम किया। लिछमणाराम ने वादी को अपने गौद लेने बाबत गौदनामा पंजीयन नहीं करवाया व वादी द्वारा लिछमणाराम के जीवनकाल में सेवा साकरी की गई व लिछमणाराम के स्वर्गवास के बाद समस्त साभाजिक रीति रिवाज निभाये गये। वादी द्वारा लिछमणाराम की पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 जतनों का विवाह व मायरा वगैरा का समस्त खर्चा वहन किया गया। लिछमणाराम के स्वर्गवास पर भरे गये फौतगी नामान्तरण में वादी नवलाराम का नाम दर्ज नहीं करके अकेले प्रतिवादी संख्या 01 जतनों का ही नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादी नवलाराम लिछमणाराम का गौद पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजी में अपने गौद पिता लिछमणाराम के

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा में 1/2 हिस्सा तथा सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा अपने नाम घोषित करवाने का अधिकारी है। जिसको सही करवाने के हेतु अधिकारों की घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 स्वर्गीय लिछमणाराम के वैध उतराधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में लिछमणाराम के केवल एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 01 जतनों है तथा जाईन्दा कोई पुत्र नहीं था। इसलिए लिछमणाराम ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल में ही वादी नवलाराम को अपना गौद पुत्र बना लिया था। और अपने आवास पर वादी को गौद लेने के सम्बन्ध में सामाजिक कार्यक्रम किया। लिछमणाराम ने वादी को अपने गौद लेने बाबत गौदनामा पंजीयन नहीं करवाया व वादी द्वारा लिछमणाराम के जीवनकाल में सेवा साकरी की गई व लिछमणाराम के स्वर्गवास के बाद समस्त सामाजिक रीति रिवाज निभाये गये। वादी द्वारा लिछमणाराम की पुत्री प्रतिवादी संख्या 01 जतनों का विवाह व मायरा वगैरा का समस्त खर्चा वहन किया गया। **इसलिये प्रतिवादी संख्या 01 जतनों अपने हिस्से की जमीन में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है** तथा मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु के खेत खसरा नम्बर 268, 523/269, 524/274, 527/277, 528/277, 530/282, 625/529 रकबा क्रमशः 4.9430, 1.3429, 4.3201, 4.8540, 2.3785, 0.9304, 7.0383 हैक्टेयर भूमि में **प्रतिवादी संख्या 01 जतनों के 1/3 हिस्से में** वादी नवलाराम का 1/6 हिस्सा खातेदारी में होना घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को कोई आपत्ति नहीं हैं। हम अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करती हैं।

पत्रावली में कोई विवाद का बिन्दु न होने के कारण तनकियात कायम न कर वादी व प्रतिवादीगण के साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी गई, वादी ने अपनी साक्ष्य स्वयं PW–1 नवलाराम गौद पुत्र लिछमणाराम कुदरती पुत्र केसाराम, PW–2 भंवरलाल पुत्र धीराराम, PW–3 चेतनराम पुत्र धीराराम तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व DW–1 जतनों पुत्री लिछमणाराम व DW–2 केसाराम पुत्र भलाराम ने शपथ पत्र पेश किये व शंकराराम पुत्र रामाराम ने मौखिक सहमति दी। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया व वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह स्वयं PW–1 नवलाराम गौद पुत्र लिछमणाराम कुदरती पुत्र केसाराम, PW–2 भंवरलाल पुत्र धीराराम, PW–3 चेतनराम पुत्र धीराराम तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं व DW–1 जतनों पुत्री लिछमणाराम व DW–2 केसाराम पुत्र भलाराम के बयानो का भी अवलोकन किया गया जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 स्वयं व उनके द्वारा प्रस्तुत गवाहान के न्यायालय में हुऐ संशपथ बयानो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का कब्जा काश्त है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करने पर वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का इकबाली जवाब स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद वादी के पक्ष में निर्णित किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु के खेत खसरा नम्बर 268, 523/269, 524/274, 527/277, 528/277, 530/282, 625/529 रकबा क्रमशः 4.9430, 1.3429, 4.3201, 4.8540, 2.3785, 0.9304, 7.0383 हैक्टेयर भूमि में **प्रतिवादी संख्या 01 जतनों के 1/3 हिस्से में** वादी नवलाराम का 1/6 हिस्सा **प्रतिवादी संख्या 01 जतनों का 1/6** खातेदारी में होना खातेदारी में होना घोषित किया जाता है तथा स्थाई व्यादेश वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी व हस्तक्षेप व बाधा कारित न करे तदनुसार तहसीलदार बायतु को यह आदेश दिया जाता है कि माफिक निर्णय व डिक्री वादी का हिस्सा खातेदारी में अंकित करते हुए नक्शा व राजस्व रेकर्ड में भी अमलदरामद करें। माफिक निर्णय के डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तत्पश्चात पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनाक 09/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. नवलाराम गौद पुत्र लिछमणाराम
कुदरती पुत्र केसाराम
जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. जतनों पुत्र लिछमणाराम पत्नि
मुकनाराम वगैरा जाति–मेगवाल,
निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

<u>दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

राजस्व वाद संख्या–82/2020. **निर्णय दिनांक :–**

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09/07/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु के खेत खसरा नम्बर 268, 523/269, 524/274, 527/277, 528/277, 530/282, 625/529 रकबा क्रमशः 4.9430, 1.3429, 4.3201, 4.8540, 2.3785, 0.9304, 7.0383 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 जतनों पुत्री लिछमणाराम के 1/3 हिस्से में वादी नवलाराम का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 जतनों का 1/6 खातेदारी में होना खातेदारी में होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

प्रतिवादीगण

वादी

1. नवलाराम गौद पुत्र लिछमणाराम
कुदरती पुत्र केसाराम
जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

1. जतनों पुत्र लिछमणाराम पत्नि
मुकनाराम जाति–मेगवाल,
निवासी–कोसरिया, हाल निवासी
चेनोणियों की ढ़ाणी, सिंगोड़िया,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
2. केसाराम पुत्र भलाराम
3. शंकरराराम पुत्र रामाराम
जाति–मेगवाल, निवासी–कोसरिया,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर
4. श्रीमान तहसीलदार, बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested